

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,  
महानिरीक्षक  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,  
मंडल कारा, सिवान।

पटना, दिनांक-30/3/2017

विषय:- राज्य योजना 2016-17 मांग सं० 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P4070000520101 स्कीम कोड-HOM-5424, 52 01-मशीनें एवं उपस्कर मद के अंतर्गत बंदी मो० शहाबुद्दीन (सम्प्रति केन्द्रीय कारा, तिहाड़, नई दिल्ली में संसीमित) के विरुद्ध लम्बित वादों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचारण हेतु Leased Line Connectivity हेतु ₹1,87,853 (एक लाख सतासी हजार आठ सौ तीरपन रूपये मात्र) की लागत पर आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी०एस०जी०-18/2016-423/वि० दिनांक- 31.03.2016, पत्रांक-एम०- 4-09/2014-4572/वि० दिनांक- 03.06.2016 तथा स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में राज्य योजना 2016-17 मांग सं० 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P4070000520101 स्कीम कोड-HOM-5424, 52 01-मशीनें एवं उपस्कर मद के अंतर्गत बंदी मो० शहाबुद्दीन (सम्प्रति केन्द्रीय कारा, तिहाड़, नई दिल्ली में संसीमित) के विरुद्ध लम्बित वादों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचारण हेतु Leased Line Connectivity हेतु ₹1,87,853 (एक लाख सतासी हजार आठ सौ तीरपन रूपये मात्र) की लागत पर आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि ₹1,87,853 (एक लाख सतासी हजार आठ सौ तीरपन रूपये मात्र) का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मांग सं० 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P4070000520101 स्कीम कोड-HOM- 5424, 52 01-मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, मंडल कारा, सिवान होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, सिवान से वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार की जाएगी तथा नियमानुसार राशि भारत संचार निगम लि. को उपलब्ध कराया जाय।

4. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1491 दिनांक-30.03.17 द्वारा निर्गत है।

चन्द्रेश्वर शर्मा

5. योजना के गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय कार्यान्वयन/परिचालन का दायित्व जिला पदाधिकारी, सिवान का होगा, जो निर्धारित समय में तदनुसार कार्य की पूर्णता सुनिश्चित कराकर आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध करायेगें।

विश्वासभोजन

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी  
सठपदा

महानिरीक्षक  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-कारा/भवन-24/2016- 129

पटना, दिनांक- 30/3/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी  
सठपदा

महानिरीक्षक  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-कारा/भवन-24/2016- 129

पटना, दिनांक- 30/3/2017

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान एवं जिला पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी  
सठपदा

महानिरीक्षक  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-कारा/भवन-24/2016- 129

पटना, दिनांक- 30/3/2017

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी  
सठपदा

महानिरीक्षक  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-कारा/भवन-24/2016- 129

पटना, दिनांक- 30/3/2017

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी  
सठपदा

महानिरीक्षक  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।